

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2476
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ

†2476. श्री जी. कुमार नायक:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल थिंक टैंक ऑन न्यूट्रीशन (जनहित में पोषण की वकालत) सहित जन स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञों की हाल ही में की गई सिफारिशों पर ध्यान दिया है जिसमें उच्च वसा, चीनी और नमक (एचएफएफएस) और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (यूपीएफ) को जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 'सिन गुड्स' या हानिकारक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करने का आग्रह किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार यूपीएफ की खपत को रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यनीति पर विचार कर रही है जिसमें फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, बच्चों को इनकी बिक्री पर प्रतिबंध, सुधारात्मक दिशानिर्देश और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) एवं (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा

गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक और (लेबलिंग और डिस्पले) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें पहले ही पैक किए गए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग से संबंधित व्यापक निर्धारित किए गए हैं। यह विनियम व्यापक लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य बनाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इन आवश्यकताओं में पैक के सामने खाद्य पदार्थ का नाम दर्शाना, प्रति 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर या एक सर्विंग के लिए अवयवों की विस्तृत सूची, अनुशंसित आहार मात्रा (आरडीए) और ऊर्जा, कुल वसा, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल, शर्करा की मात्रा और सोडियम आदि से संबंधित विस्तृत पोषण संबंधी जानकारी शामिल हैं।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें स्कूल परिसर में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्कूल परिसरों के अंदर और उसके आसपास संतुलित आहार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल अधिकारियों की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान के अंतर्गत "#हरलेबलकुछकहताहै" नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को लेबल की जानकारी देकर उन्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन, सर्विंग साइज), सामग्री की सूची, एलर्जी संबंधी चेतावनियाँ और उत्पाद पर लिखी तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना है।

इसके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देशों (<https://www.nin.res.in/dietaryguidelines/index.html>) के अनुसार, वसा और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन को कम किया जाना चाहिए।
